6

सांविधिक और स्वायत्त निकायों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा

6.1 कोयला खान भविष्य निधि संगठन

कोयला खान भविष्य निधि संगठन कोयला मंत्रालय के अधीन एक स्वायत निकाय है जो निम्नलिखित तीन स्कीमों को प्रशासित करता है :-

- कोयला खान भविष्य निधि योजना, 1948
- कोयला खान पेंशन योजना, 1998
- कोयला खान जमा सम्बद्ध बीमा योजना, 1976

(24.03.2009 से बंद कर दी गयी)

उपर्युक्त तीनों योजनाओं की अलग-अलग विशेषताएं और व्यापक रूपरेखा निम्नवत हैं :

6.1.1 कोयला खान भविष्य निधि योजना, 1948

कोयला खान भविष्य निधि योजना (सीएमपीएफएस), जो कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम, 1948 के अंतर्गत बनाई गई है जो भारत में कोयला खानों के सभी कर्मचारियों को भविष्य निधि के लाभ प्रदान करती है । नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन इस अधिनियम के अधीन नहीं आती है। कोयला खान भविष्य निधि में कर्मचारी अपनी परिलब्धियों के 12% की दर से अंशदान करते हैं तथा नियोक्ता भी बराबर की राशि का अंशदान करते हैं। समस्त निधि वित्त मंत्रालय द्वारा तथा न्यासी बोर्ड, सीएमपीएफ द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार निवेशित की जाती है। एक न्यासी बोर्ड द्वारा इस निधि को प्रशासित किया जाता है जिसमें नियोजकों, कर्मचारियों और केंद्रीय/राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं।

इस योजना का विस्तृत ब्यौरा नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है :-

विवरण	2012-13 वास्तविक	2013-14 अलेखा परीक्षित	2014-15 अनुमानित
शामिल कोयला खानों/संयत्रों की संख्या (वर्ष के अंत तक)	901	926	930
वर्ष के दौरान अद्यतन सदस्यों की संख्या	4.26 लाख	4.10 लाख	4.00 लाख
वर्ष के दौरान अंशदान	4262.99 करोड़	5334.00 करोड़	5334.00 करोड़
वर्ष के दौरान अग्रिम (करोड़ रु. में)	409.78	420.17(लगभग)	420.00(लगभग)
वर्ष के दौरान भविष्य निधि की वापसी (करोड़ रु. में)	3503.18	4110.00 (लगभग)	4200.00 (लगभग)
(i) निपटाए गए मामलों की संख्या (वापसी)	29,756	29,595	29,600
(ii)प्राप्त मामलों की संख्या (वापसी)	29,721	29,134	29,200
विद्यमान अधिकारियों की संख्या	34	35	-
विद्यमान कर्मचारियों की संख्या	907	861	-

निपटाए गए मामलों में पर्याप्त कमी आई है। भविष्य निधि वापसी के निपटान में मामले लंबित रहने की प्रवृति नीचे आंकड़ों में दर्शायी गयी है :-

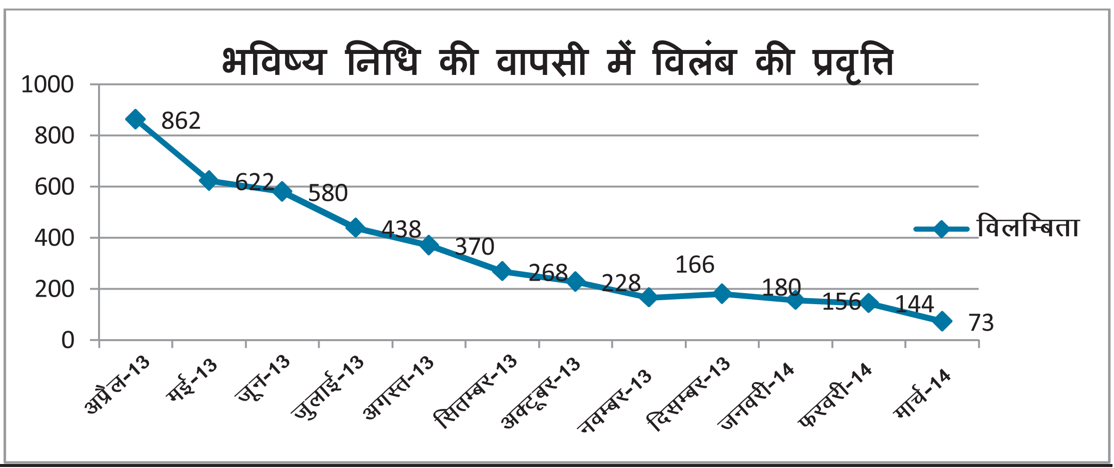

6.1.2 कोयला खान पेंशन योजना, 1998

कोयला खान परिवार पेंशन स्कीम 1971 (सीएमपीएफएस 71) का अधिक्रमण करके कोयला खान भविष्य निधि प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम 1948 (1948 का 46) की धारा 3 ई द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कोयला खान पेंशन स्कीम 1998 (सीएमपीएस 1998) 31.03.1998 को लागू की गई थी। 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार सीएमपीएफ सदस्यता - 4,16,737/- दर्ज की गई हैं।

6.1.2.1 पेंशन निधि

पेंशन निधि में कोयला खान परिवार पेंशन स्कीम 1971 की निवल परिसंपत्तियां होती हैं। स्कीम के लाभार्थियों में बंद कोयला खान परिवार पेंशन स्कीम 1971 के सदस्य जो 31 मार्च 1998 को विद्यमान थे, 31 मार्च 1998 को या उसके बाद नियुक्त कर्मचारी और पेंशन निधि की सदस्यता को अपनाने वाले सदस्य शामिल है। ऐसे सभी कर्मचारियों जिनकी 01.04.1994 से 31.03.1998 की अवधि के दौरान सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गई को जीसीआर संख्या 521 (ई) दिनांक 12.08.2004 के तहत स्कीम के इच्छुक के रूप में समझा गया है। प्रत्येक तीसरे वर्ष बीमांकिक द्वारा पेंशन के मूल्यांकन को प्रावधान है जिसकी नियुक्ति न्यासी बोर्ड द्वारा की जाएगी।

6.1.2.2 पात्रता के प्रकार

(क) मासिक पेंशन

(ख) विकलांगता पेंशन

(ग) विधवा अथवा विधुर पेंशन

(घ) बाल पेंशन

(ड.) अनाथ पेंशन

(च) अनुग्रह अदायगी

केन्द्र सरकार ने 2012-13 के दौरान 17.00 करोड़ रू., 2013 – 14 में 15.00 करोड़ रू. और 2014 – 15 में 16.00 करोड़ रू. की राशि का अंशदान किया है। इसके अलावा, केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन योजना के संचालन हेतु प्रशासनिक व्यय के लिए 2012-13 में 7.21 करोड़ रु. का अंशदान किया। 2013-14 में 7.00 करोड़ रू. (संशोधित अनुमान) और 2014–15 में 8.00 करोड़ रू. (बजट अनुमान) की व्यवस्था इस प्रयोजनार्थ की गयी है ।

निम्नलिखित तालिका सीपीएमएस, 1998 के विस्तृत मानदंडों को दर्शाती है :-

कोयला खान पेंशन स्कीम के लाभार्थियों का ब्यौरा

क्र.सं.	विवरण	**2012-2013** वास्तविक	**2013-2014** अलेखापरीक्षित	**2014-2015** अनुमानित
i)	कोयला खान पेंशन योजना की सदस्यता	4.33 (लाख)	4.20 (लाख)	4.02 (लाख)
ii)	पेंशन योजना में नियोक्ताओं, कर्मचारियों और सरकार द्वारा किया गया अंशदान और उस पर ब्याज	2011.14 (करोड़)	2200.00 (करोड़)	2300.00 (करोड़)
iii)	लाभों का संवितरण (समाप्त हुई परिवार पेंशन योजना और पेंशन योजना) (सीएमएफपीएस 1971)	1134.03 (करोड़)	1323.73 (करोड़)	1500.00 (करोड़)

iv) (क)	परिवार पेंशन (सीएमएफपीएस 1971) और जीवन बीमा लाभ (अब समाप्त) के निपटाए गए मामलों की संख्या	8	4	0
(ख)	निपटाए गए पेंशन (सीएमपीएस, 1998) के मामलें	30,489	32,597	33,000
v) (क)	परिवार पेंशन (सीएमएफपीएस 1971) तथा बीमा योजना लाभ के प्राप्त मामलों की संख्या	8	4	0
(ख)	सीएमपीएस, 1998 के अंतर्गत प्राप्त पेंशन मामलों की संख्या	30,267	32,070	32,500

तालिका 6.2

निपटाए गए मामलों में पर्याप्त कमी आई है। पेंशन मामलों के निपटान में मामले लंबित रहने की प्रवृति अगले पृष्ठ पर दर्शायी गयी है :-

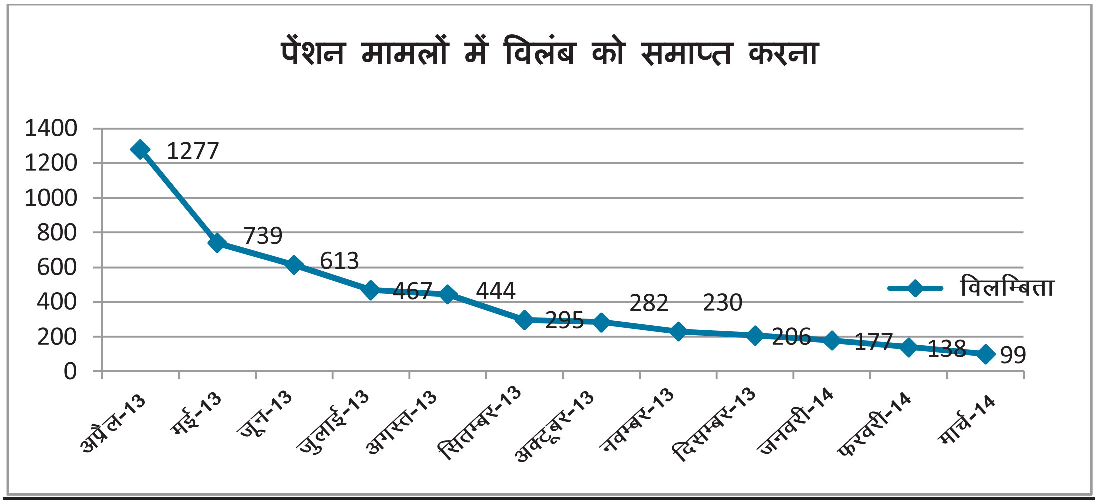

6.3 कोयला खान जमा सम्बद्ध बीमा योजना, 1976

कोयला खान जमा सम्बद्ध बीमा योजना 1 अगस्त, 1976 से लागू की गई थी। सीआईएल के कार्यकारी काडर के कर्मचारियों को दिनांक 24.03.2009 की राजपत्र अधिसूचना सं. एसओ 822 (ई) के तहत उक्त स्कीम के प्रचालन से छूट दी गई थी। सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों के कामगारों को कोयला मंत्रालय द्वारा स्कीमों के प्रचालन से पूर्व में छूट दे दी गई थी। किंतु टिस्कों, इस्को, जिंदल विद्युत, सिंगरैनी, अदानी खनन प्राइवेट लिमिटेड, बीएलए उद्योग, सैनिक माइनिंग एलाइड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (एसईसीएल) आदि जैसी अन्य निजी कंपनियां तथा अनुषंगिक यूनिटें अभी भी स्कीम में शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2012- 13 के लिए कोयला खान भविष्य निधि संगठन के परीक्षित लेखाओं सहित वार्षिक रिपोर्ट 11 फरवरी, 2014 को (लोकसभा) और 12 फरवरी, 2014 (राज्य सभा) को संसद के बजट सत्र में दोनों सदनों के सभा पटल पर रख दी गई है।